रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2018/भाद्र 28, 1940
No. 358] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2018/BHADRA 28, 1940

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं. डीई-147/विविध-1/-2018.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16वाँ) की धारा 10(4) या 10(50) के साथ सहपठित, धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त परिषद, केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ, 13 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड (4) में प्रकाशित मूल "भारतीय दन्त परिषद स्क्रीनिंग परीक्षण विनियम, 2009" में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमों की रचना करती है:—

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ**:

   (i) इन विनियमों को "भारतीय दन्त परिषद स्क्रीनिंग परीक्षण (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018" कहा जा सकता है।

   (ii) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियम सं. 2(1) में, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एनईईटी) शब्द को परिभाषित करने वाला नया खंड (i) एतद्वारा प्रविष्ट किया जाता है:-

   (i) "राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा" (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एनईईटी) का अर्थ किसी ऐसे परीक्षण या परीक्षा से है जिसे दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10डी के अंतर्गत यथा-संशोधित एवं यथा-रचित प्रासंगिक विनियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (नेशनल बोर्ड ऑफ़ एक्ज़ामिनेशन) द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा विहित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संचालित किया जाता है।

3. मूल विनियम सं. 5 में, "पात्रता मानदंड" शीर्ष के अंतर्गत, विनियम 5 के खंड (a) एवं (b) को एतद्वारा मिटाया जाता है एवं इस नए उपबंध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

   पात्रता मानदंड: इन विनियमों के प्रारंभ हो जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति को केवल तब पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पात्र माना जाएगा जब:-

   (i) वह भारत का नागरिक/ओसीआई/पीआईओ कार्ड धारक हो; और

   (ii) उसने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो; और

   (iii) वह जिस विदेशी संस्थान में प्रवेश का इच्छुक है वह उस संबंधित देश में एक मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय हो; और

(iv) पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक होगा और न्यूनतम अवधि डीसीआई द्वारा उसके संबंधित विनियमों में विहित अवधि के अनुसार होगी; और

(v) विदेशी संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश का न्यूनतम मानदंड डीसीआई द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित उसके संबंधित विनियमों में विहित मानदंडों के समकक्ष होगा;

(vi) उसने सचिव, डीसीआई के नाम में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ़्ट या पे ऑर्डर या समय-समय पर डीसीआई द्वारा विहित किए जा सकने वाले संव्यवहार माध्यम के द्वारा प्रक्रमण शुल्क के रूप में रु 3,000 (रुपये तीन हजार मात्र) का शुल्क संप्रेषित कर दिया हो;

(vii) वह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में डीसीआई द्वारा विहित की जा सकने वाली अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो।

4. मूल विनियम में, विनियम सं. 11 के वर्तमान उपबंध एतद्वारा मिटाए जाते हैं और स्क्रीनिंग परीक्षण तथा विषय एवं उनके अंकों के वितरण के निम्नलिखित नए पैटर्न द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं:-

प्रश्नपत्र-1 के लिए एमडीएस/पीजी डिप्लोमा के विषयों एवं अंकों का वितरण

विषय	ओरल एंड मैक्सिलोफ़ेशियल सर्जरी	ऑर्थो.	ओरल मेड.	पेरिओ.	प्रॉस्थो.	ओरल पैथो.	पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	पीडो. एंड प्रीवे. डेंटिस्ट्री	कॉन्स. एंड एंडो.
एनाटमी	10	20	10	20	10	10	10	10	10
फिज़ियॉलजी	10	20	10	20	10	10	10	10	10
बायोकेमिस्ट्री	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
जनरल पैथॉलजी	10	10	10	10	05	10	10	10	10
जनरल माइक्रोबायॉलजी	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
ओरल पैथॉलजी	10	शून्य	10	10	05	10	10	10	10
ओरल माइक्रोबायॉलजी		शून्य	10	10	05				
फार्माकॉलजी	10	15	10	10	05	10	10	10	10
जनरल मेडिसिन	10	शून्य	10	शून्य	05	10	10	10	10
जनरल सर्जरी	10	शून्य	10	शून्य	05	10	10	10	10
एप्लाइड डेंटल मटीरियल्स	10	35	शून्य	शून्य	40	10	10	10	10
प्रश्नों की कुल संख्या	100	100	100	100	100	100	100	100	100

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा प्रश्नपत्र-2 संबधित विषयों में विशेषज्ञता प्रश्न – 150

(i) प्रश्नपत्र-1 की अवधि 120 मिनट और प्रश्नपत्र-2 की अवधि 180 मिनट है।

(ii) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।

(iii) ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।

(iv) कृपांक नहीं दिए जाएंगे।

(v) मौखिक परीक्षा में भाग लेने हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

(vi) एमडीएस/पीजी डिप्लोमा एवं बीडीएस उपाधि धारक के संबंध में डीसीआई स्क्रीनिंग परीक्षण परीक्षा का मानक, भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु विहित मानक के समकक्ष होगा।

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा – मौखिक परीक्षा - 50

अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में अलग से 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

एमडीएस/पीजी डिप्लोमा की मौखिक परीक्षा के परीक्षक

मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक होंगे; उनमें से एक, परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय से आंतरिक परीक्षक होगा और दूसरा किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय से होगा जो मान्यता प्राप्त स्नातक एवं परास्नातक दंत अर्हता प्रदान करता हो।

अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण (केवल परास्नातक उपाधि पर लागू)

जो अभ्यर्थी अपनी एमडीएस उपाधि/पीजी डिप्लोमा को मान्यता प्रदान किए जाने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर लेता है वह, उसे आवश्यक उत्तीर्ण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पहले, अभ्यर्थी के निवास के निकट के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी दंत संस्थान के संबंधित विशेषज्ञता विभाग के किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में 12 सप्ताह की अवधि के लिए अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। उक्त सरकारी दंत संस्थान अभ्यर्थी को अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करेगा।

बीडीएस स्नातकों हेतु विषयों एवं अंकों का वितरण

विषय	बीडीएस हेतु एमसीक्यू की संख्या	विषय	बीडीएस हेतु एमसीक्यू की संख्या
	प्रश्नपत्र 1		***प्रश्नपत्र 2***
एनाटमी	10	डेंटल एनाटमी एंड हिस्टॉलजी	10
फिज़ियॉलजी	10	डेंटल मटीरियल्स	10
बायोकेमिस्ट्री	10	ओरल पैथॉलजी	10
माइक्रोबायॉलजी	10	ओरल माइक्रोबायॉलजी	10
पैथॉलजी	10	ओरल मेडिसिन	10
फार्माकॉलजी	10	ओरल रेडियॉलजी	10
जनरल मेडिसिन	20	ओरल सर्जरी	10
जनरल सर्जरी	20	पेरियोडोंटिक्स	10
		ऑर्थोडोंटिक्स	10
		कम्यूनिटी/पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री	10
		पीडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री	10
		प्रॉस्थोडोंटिक्स क्राउन एंड ब्रिज	20
		कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स	20
कुल प्रश्न	100	कुल प्रश्न	150

बीडीएस प्रश्नपत्र-2 संबधित विषयों में विशेषज्ञता प्रश्न – 150

(i) प्रश्नपत्र-1 की अवधि 120 मिनट और प्रश्नपत्र-2 की अवधि 180 मिनट है।

(ii) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।

(iii) ऋणात्मक अंकन नहीं होगा।

(iv) कृपांक नहीं दिए जाएंगे।

(v) मौखिक परीक्षा में भाग लेने हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

बीडीएस– मौखिक परीक्षा - 50

अभ्यर्थी को मौखिक परीक्षा में अलग से 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

बीडीएस की मौखिक परीक्षा के परीक्षक

मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक होंगे; उनमें से एक, परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय से आंतरिक परीक्षक होगा और दूसरा किसी अन्य विश्वविद्यालय बाहरी परीक्षक। विदेशी स्नातक/परास्नातक दंत अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु मौखिक परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए परीक्षकों की अर्हता, समय-समय पर यथा-संशोधित डीसीआई संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 एवं एमडीएस विनियम, 2007 एवं 2017 में परीक्षकों के लिए विहित अर्हता के समकक्ष होगी।

स्क्रीनिंग परीक्षण में उत्तीर्ण घोषित करने का मानदंड

अभ्यर्थी को सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं मौखिक परीक्षा, दोनों अलग-अलग उत्तीर्ण करने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे मौखिक परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा में या सैद्धांतिक के किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण हो जाता है उसे सैद्धांतिक प्रश्नपत्र और मौखिक परीक्षा, दोनों दोबारा देनी होंगी। जिन परास्नातक विद्यार्थियों को 12 सप्ताह का अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण पूरा करना है वे संबंधित राज्य दन्त परिषद में उसके पंजीयन हेतु अपनी योजक (एड ऑन) अर्हता के पात्र होंगे।

5. मूल विनियम सं. 12 में, अभ्यर्थियों पर केवल 3 प्रयासों का प्रतिबंध लगाने वाला उपबंध एतद्वारा मिटाया जाता है एवं निम्नलिखित नए खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"स्क्रीनिंग परीक्षण में भाग लेने और उत्तीर्ण करने के प्रयासों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

बशर्ते कि अभ्यर्थी पंजीयन के लिए केवल तब पात्र होगा जब वह मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले और अनिवार्य क्लीनिकल सक्षमता प्रशिक्षण पूरा कर ले"।

6. मूल विनियम सं. 16, एतद्वारा हटाया जाता है।

डॉ सव्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./234/18]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

No. DE-147/Misc-I/-2018.—In exercise of the powers conferred by section 20 read with Section 10(4) or 10(5) of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Principal "Dental Council of India Screening Test Regulations, 2009" published on 13th August, 2009, in Part–III, Section (4) of the Gazette of India, namely:—

1. **Short title and commencement:**

   (i) These regulations may be called the "Dental Council of India Screening Test (2nd Amendment) Regulations, 2018.

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Principal Regulation No. 2 (1) new clause (i) defining the word National Eligibility Cum-Entrance Test (NEET) is hereby inserted:-

   (i) "National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) means any Test or Examination conducted by National Board Examination or by any other authority prescribed by the Central Government, from time to time, under the relevant regulations as amended and framed u/s 10D of the Dentists (Amendment) Act, 2016"

3. In the Principal Regulation No. 5, under the heading 'Eligibility Criteria', the clause (a) & (b) of regulations 5 is hereby deleted and substituted by this new provision:-

   Eligibility Criteria: After commencement of these regulations, no person shall be eligible to obtain Eligibility Certificate unless:-

   (i) He/she is a citizen of India/OCI/PIO Card holders; and

   (ii) He/she has qualified the National Eligibility-cum-Entrance Test; and

   (iii) The foreign institution where he/she desires to get admission shall be a recognised institution/University in the respective country; and

   (iv) The course shall be a regular one and full time with the minimum duration of the period as prescribed by DCI in its respective regulations; and

   (v) The minimum criteria for admission in the foreign Institution/University shall be at par with the criteria prescribed by DCI in its respective regulations as amended from time to time.

(vi) He/she has been remitted the fee of Rs. 3,000 (Rupees Three Thousand Only) as processing fee by the way of Demand Draft or Pay Order or any Mode of Transaction as the DCI may prescribe from time to time, in favour of Secretary, DCI payable at New Delhi.

(vii) He/she fulfils the other requirements as the DCI may prescribe in the facts and circumstances of each case.

4. In the Principal Regulation, the existing provisions of Regulations No. 11, is hereby deleted and substituted by the following new pattern of Screening Test and distribution of the subject and marks, therefore:-

Distribution of subject and marks for MDS/PG Diploma for Paper-I

Subjects	**Oral & Maxillofacial Surgery**	**Ortho**	**Oral Med**	**Perio.**	**Prostho**	**Oral Patho.**	**Public Health Dentistry**	**Paedo. & Prev Dentistry**	**Cons & Endo.**
Anatomy	10	20	10	20	10	10	10	10	10
Physiology	10	20	10	20	10	10	10	10	10
Biochemistry	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
General Pathology	10	10	10	10	05	10	10	10	10
General Microbiology	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
Oral Pathology	10	Nil	10	10	05	10	10	10	10
Oral Microbiology		Nil	10	10	05				
Pharmacology	10	15	10	10	05	10	10	10	10
General Medicine	10	Nil	10	Nil	05	10	10	10	10
General Surgery	10	Nil	10	Nil	05	10	10	10	10
Applied Dental Materials	10	35	Nil	Nil	40	10	10	10	10
Total No. Of Questions	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MDS/PG Diploma Paper II- Speciality Questions in the respective subjects – 150

(i) Duration of Paper-I is 120 Minutes & paper II is 180 Minutes

(ii) Each question carries one mark.

(iii) There will be no negative marking.

(iv) There will be no grace marks.

(v) The candidate has to score 50% in each paper individually to qualify for appearing in the viva-voce examination.

(vi) The standard of DCI Screening Test Exam in respect of MDS/PG Diploma and BDS degree holder would be at par with the standard prescribed for Indian universities.

MDS/PG Diploma– Viva-voce examination - 50

The candidate has to separately score 50% in the viva-voce examination.

Examiners for Viva-Voce Examination for MDS/PG Diploma

There shall be two examiners for Viva-Voce; out of whom, one internal from examining university and one external from any other university which awards recognised Undergraduate and Postgraduate Dental qualification.

Compulsory Clinical Competence Training (Applicable only to Post-Graduate degree)

The candidate who qualifies the Screening Test for recognition of his MDS Degree/ PG Diploma shall, before issue of the necessary passing certificate to him/her, have to undergo a compulsory clinical competence training for a period of 12 weeks under the guidance of a specialist in the concerned speciality at a recognised Government dental institution which would be near the resident of the candidate. Such Government dental institution shall impart Compulsory Clinical Competence Training free of cost to the candidate.

Distribution of subject and marks for BDS graduates

Subject	No. Of MCQs for BDS	Subject	No. Of MCQs for BDS
	Paper I		***Paper II***
Anatomy	10	Dental Anatomy & Histology	10
Physiology	10	Dental Materials	10
Biochemistry	10	Oral Pathology	10
Microbiology	10	Oral Microbiology	10
Pathology	10	Oral Medicine	10
Pharmacology	10	Oral Radiology	10
General Medicine	20	Oral Surgery	10
General Surgery	20	Periodontics	10
		Orthodontics	10
		Community /Public Health Dentistry	10
		Pedodontics and Preventive Dentistry	10
		Prosthodontics Crown & Bridge	20
		Conservative Dentistry & Endodontics	20
Total Questions	100	Total Questions	150

BDS Paper II- Speciality Questions in the respective subjects – 150

(i) Duration of Paper-I is 120 Minutes & paper II is 180 Minutes

(ii) Each question carries one mark

(iii) There will be no negative marking.

(iv) There will be no grace marks.

(v) The candidate has to score 50% in each paper individually to qualify for appearing in the viva-voce examination.

BDS– Viva-voce examination - 50

The candidate has to separately score 50% in the viva-voce examination

Examiners for Viva-Voce Examination for BDS

There shall be two examiners for Viva-Voce, out of whom, one internal from examining university and one external from any other university. The qualification of examiners appointed for viva-voce for recognition of foreign UG/PG dental qualification would be at par with the qualification prescribed for examiners in the DCI Revised BDS Course Regulations, 2007 and MDS Course Regulations, 2007 and 2017, as amended from time to time.

The criteria to declare pass the Screening Test

The candidate shall have to pass both the theory paper and Viva-Voce separately. In case, any candidate does not qualify a theory paper shall not be allowed to appear in the Viva-Voce and the candidate who fails in Viva-Voce or in one paper of theory shall have to reappear in both the theory paper and Viva-Voce also. The PG students who have to undergo and complete the 12th weeks Compulsory Clinical Competence Training shall be entitled for his add on qualification for its registration with respective State Dental Council.

5. In the Principal Regulation No. 12, providing for restriction of the candidates only to the 3 attempts is hereby deleted and substituted by the following new clause:-

"There is no limit on the maximum number of attempts to appear and pass in the Screening Test.

Provided that the candidate shall not be eligible for registration unless and until he or she qualify the Viva-Voce and undertake Compulsory Clinical Competence Training"

6. In the Principal Regulation, No. 16 is hereby deleted.

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./234/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.09.19 21:55:46 +05'30'